

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-2/एल०-94/2024 /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० भास्कर, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया द्वारा चिकित्सा हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-04.07.2023 से 19.07.2023 तक कुल-16 (सोलह) दिन को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-27(25), दिनांक-04.01.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा सहिता के नियम-230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

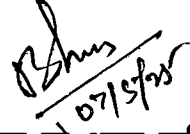
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-2/एल०-94/2024- 707/2 पटना, दिनांक 7/5 /2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिविल सर्जन, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/ उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया/ डा० भास्कर, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।
५